

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्र./शि.क./जी/39/अध्या.संवि./रीवा/2018/ 968

भोपाल, दिनांक 20/06/2018

:: आदेश ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्र./शि.क./जी/39/संवि./2018/900-901, दिनांक 14.06.2018 के द्वारा श्री सलाम बेग, सहायक अध्यापक (बीजेड 6697), शा. मावि करारी (23140814202) जिला-रीवा से शा. प्रावि उमरानाला (23430204502) जिला-छिन्दवाड़ा में अन्तर्निकाय संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।


2/ वर्तमान में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अन्तर्निकाय संविलियन की प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में उल्लेखित आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


(जयश्री कियामत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./शि.क./जी/39/अध्या.संवि./रीवा/2018/ 969
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 20/06/2018

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला-रीवा एवं छिन्दवाड़ा म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा एवं छिन्दवाड़ा म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी रीवा एवं छिन्दवाड़ा म.प्र. उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. संबंधित श्री सलाम बेग(बीजेड 6697), सहायक अध्यापक, शा. मावि करारी (23140814202) जिला-रीवा की ओर पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश